प्रेषक

महानिरीक्षक निबन्धन

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में

विशेष सचिव

कर एवं निबंधन, अनुभाग-5

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

संख्या- 13311/स्टाम्प-327(जे)/02-03 दिनांक 22.10.09

विषय- फ्लैट्स का मूल्य बिल्डर्स मूल्य के बराबर उद्घोषित/आंकलित करने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 5848/11-क0नि0-5-2009 दिनांक21.10.09 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 मंत्री जी की अध्यक्षता में विभाग के कार्यकलाप की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 07-09-09 के कार्यवृत्त के प्रस्तर-3 के निर्देश संख्या-7 के अन्तगत निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैः-

" फ्लैटो के अन्तरण में प्लाट के अविभाजित क्षेत्रफल का स्वामित्व भी प्लाट के क्रेता को मिलता है। यह क्षेत्रफल कम होता है तथा इसका कलेक्टर रेट से बाजार मूल्य को निर्माण के मूल्य में जोड़ने पर फ्लैट का बाजार मूल्य, प्रचलित बाजार मूल्य से काफी कम आता है। इस हेतु उप महानिरीक्षक निबंधन, आगरा ने यह सुझाव दिया कि जनपद आगरा में रेट लिस्ट में फ्लोर एरिया रेशियो-एफ0ए0आर0 को आधार बनाया गया है। इस प्रकार फ्लैटों का कलेक्टर रेट से आगणित बाजार मूल्य तथा प्रचलित बाजार मूल्य लगभग सामान आता है। अन्य जनपदों में भी कलेक्टर रेट में इस प्रकार संशोधन किया जा सकता है।"

उक्त के निर्देश में इस कार्यालय में पत्र संख्या 12001-03/स्टाम्प-327(जे)/02-03 दिनांक-30.09.09 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा समस्त जिलाधिकारी (जनपद आगरा को छोड़कर) को जिलाधिकारी आगरा के पत्र संख्या 429/स्टाम्प लिपिक-स्टाम्प रेट सूची-08 दिनांक 02.09.08 में दिये गये सामान्य निर्देश के छाया प्रति प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रतिलिपि शासन को भी पृष्ठांकित की गयी है।

विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 6.10.09 के कार्यवृत्त के प्रस्तर-4(2) में निर्देश दिये गये है कि जनपद आगरा के सूत्र को उदाहरण सहित परिचालित करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त पत्र दिनांक 30.09.09 द्वारा पूर्व में ही समस्त जिलाधिकारी को अवगत कराया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अन्तर्गत कलेक्टर के रूप में जिलाधिकारी ही यह कार्यवाही कराने हेतु सक्षम हैं। शासन के पत्र संख्या क0नि0-5-3439/11-500(57)/2009 दिनांक14.09.09 द्वारा समस्त जिलाधिकारी को उक्त नियमावली के अन्र्तगत कार्यवाही किये जाने हेतु समुचित निर्देश दिये गये हैं। यदि इस सम्बन्ध में कोई अन्य कार्यवाही अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

ह0/-

(सन्दीप कुमार शर्मा)

अपर आयुक्त स्टाम्प(प्र0)

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।